6580
07/10/24

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

विषयः- झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या–9950 दिनांक–20.11.2015 के द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को क्रमशः 8000.00 रू0 एवं 7000.00 रू0 प्रतिमाह अनुसेवक भत्ता तथा 6000.00 रू0 एवं 5000.00 रू0 प्रतिमाह अनुसचिवीय सहायता भत्ता की सुविधा सहित निःशुल्क आवासीय दूरभाष की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसमें दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य प्रतिमाह निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रू0 तक निःशुल्क कॉल को अनुमान्य किया गया है।

2. विभागीय संकल्प संख्या–449 दिनांक–19.01.2023 द्वारा उपर्युक्त संकल्प को संशोधन करते हुए प्रति माह अनुमान्य 1500 रूपये के प्रावधानित सीमा के अन्दर मुफ्त टेलीफोन कॉल की सुविधा के साथ FTTH (Fiber to the Home) तथा इन्टरनेट/कॉल सेवा के अन्य माध्यम के दावे को भी अनुमान्य किया गया। साथ ही विभागीय संकल्प संख्या–1458 दिनांक–27.02.2024 के द्वारा उपर्युक्त सुविधा को झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश के मृत्यु के उपरांत उनकी जीवित पत्नी/पति (जो लागू हो) के लिए भी विस्तारित किया गया है।

3. विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1255/जे0 दिनांक.28.05.2024 के आलोक में झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों के उत्तर सेवानिवृति लाभों के संदर्भ में निर्गत सभी विभागीय संकल्पो को एकीकृत करते हुए निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

(i)

क्रम संख्या	भत्ते	सेवानिवृत माननीय मुख्य न्यायाधीश	सेवानिवृत माननीय न्यायाधीश
1	अनुसेवक भत्ता	19,000/–रू0 प्रतिमाह	19,000/–रू0 प्रतिमाह
2	अनुसचिवीय सहायता भत्ता	8,000/–रू0 प्रतिमाह	8,000 /– प्रतिमाह
	कुल राशि	27,000/–रू0 प्रतिमाह	27,000/–रू0 प्रतिमाह

(ii) झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीशों एवं सेवानिवृत न्यायाधीशों को निःशुल्क आवासीय दूरभाष की सुविधा दी जायेगी जिसमें दूरभाष प्राधिकार द्वारा अनुमान्य प्रतिमाह निःशुल्क कॉल संख्या के अलावे 1500 रूपये तक निःशुल्क कॉल अनुमान्य होगा। प्रतिमाह अनुमान्य 1500 रूपये प्रावधानित सीमा के अंदर निःशुल्क कॉल की सुविधा के साथ FTTH (Fiber to the Home) तथा इन्टरनेट/कॉल सेवा के अन्य माध्यम के दावे भी अनुमान्य होंगे।

(iii) अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा झारखण्ड उच्च न्यायालय के उन्हीं सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश को अनुमान्य होंगे, जो सेवानिवृति की तिथि पर झारखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत रहे हों और सेवानिवृति के उपरांत किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण/आयोग अथवा पारिश्रमिक वाले किसी अन्य पद पर कार्यरत न हों।

(iv) उपर्युक्त भत्ते सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश द्वारा विपत्र/अभिश्रव प्रस्तुत किये जाने पर वास्तविक व्यय के रूप में उक्त अधिकतम सीमा तक भुगतान किये जायेंगे।

(v) झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा उक्त भत्तों तथा दूरभाष सुविधा की स्वीकृति दी जायेगी एवं भुगतान किया जायेगा।

(vi) उपर्युक्त प्रदत्त सुविधा झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश की मृत्यु के उपरान्त उनकी जीवित पत्नी/पति (जो लागू हो) को भी अनुमान्य होगी। परन्तु उपर्युक्त कंडिका–3 की उप कंडिका–(i) के क्रमांक 2 की सुविधा सेवानिवृत न्यायाधीश की जीवित पत्नी/पति (जो लागू हो) को अनुमान्य नहीं होगी।

(vii) High Court of Jharkhand (Condition of Engagement of Co-terminus Employees) Rules, 2019 अधिसूचित होने के उपरांत उपर्युक्त कंडिका i से vi में वर्णित सुविधा झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को उपलब्ध नहीं रहेगी।

(vii) यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

4. झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदत्त भत्तों/ सुविधाएँ के संबंध में पूर्व से निर्गत संकल्प/ आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक–6301, दिनांक 27.09.2024 के क्रम में दिनांक 27.09.2024 की बैठक के मद संख्या–37 के रूप में दी गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

07/10/24
(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–08/उ0 न्या0 स्था0–01/2024 का0 6580 राँची, दिनांक 07/10/24

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई–गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

07/10/24
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः—08 / उ0 न्या0 स्था0—01 / 2024 का0 6580 राँची, दिनांक 07/10/24

प्रतिलिपिः— प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव—सह—विधि—परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची / महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सचिव के आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

07/10/24

सरकार के सचिव।